

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2015/भाद्र 26, 1937

No. 321]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2015/BHADRA 26, 1937

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 17 सितम्बर, 2015

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2015-16/020.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (तलाशी और अभिग्रहण के लिए प्रक्रिया) निरसन विनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

विनियमों का निरसन

2. इन विनियमों के प्रारंभ से ही, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (तलाशी और अभिग्रहण के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2014 निरसित हो जाएँगे।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन- III/4/असा./69-जैडबी/15(209)]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 17th September, 2015

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/020.— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations, namely:—

Short title and commencement.

1. (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Search and Seizure) Repeal Regulations, 2015.
- (2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Repeal of Regulations.

2. On and from commencement of these regulations, the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Search and Seizure) Regulations, 2014 shall stand repealed.

U.K. SINHA, Chairman
[ADVT.-III/4/Exty./69-ZB/15(209)]